2017/42

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –41/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
जालम सिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर		नायब तहसीलदार, मेडता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय **दिनांक 22.05.2017**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 284/2011 सरकार बनाम जामलसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.03.2017 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.24 हैक्टेयर गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर पटवारी ने रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को नायब तहसीलदार मेडता के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि अपीलांट का खसरा नम्बर 153 के किसी भी हिस्से पर कब्जा, अतिक्रमण नहीं है तथा पटवारी हल्का ने अदावत, रंजिश व विद्वेषतावश से झुठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को 0.24 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल करने तथा अलग से जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश पारित किया। जिस निर्णय दिनांक के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की तथा यह उजर दिया कि वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह भूमि वास्तव में अपीलांट के पिता श्री समन्दरसिंह को आंवटित की गई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद यह भूमि अपीलांट व उसके भाईयों व माता के नाम खातेदारी में दर्ज हो रखी है। नये सेटलमेंट में इस भूमि का नया नक्शा तैयार किया गया, उसमें अपीलांट

कलक्टर, नागौर

का कब्जा वर्तमान खसरा नम्बर 153 में होते हुए भी गलत रूप से खसरा नम्बर 139 में कब्जा बताते हुए गलत तरमीम कर दी। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय हाजा ने अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देशों के साथ मामला पुनः प्रेषित (रिमाण्ड) करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय अपील न्यायालय के द्वारा जिन बिन्दुओं पर मामला पुनः प्रेषित किया गया था, उन बिन्दुओं पर किसी तरह की जांच किये बगैर उन बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिये बगैर दिनांक 23.02.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को बेदखल करने तथा अपीलांट पर 240 रूपये जुर्माना कायम करने के आदेश दिये।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत व बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गांव टालनपुर के साबिका खसरा नम्बर 111 गैर मुमकिन मगरा की भूमि में सें बहुत से लोगो को भूमि आंवटन व नियमन किया हुआ था, अपीलांट के पिता श्री समन्दरसिंह भारतीय थल सेना में सैनिक थे तथा भारत–पाक और भारत–चीन युद्ध में शौर्यपूर्ण कार्य किया था, गौरव सैनिक होने के कारण ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 111 में राज्य सरकार द्वारा दस बीघा भूमि का आंवटन किया गया था, आंवटन के बाद यह भूमि अपीलांट के पिता के खातेदारी में दर्ज रही तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् यह 11 बीघा भूमि अपीलांट और उनके भाईयों के खातेदारी में दर्ज हो गई, साबिका खसरा नम्बर 111 में जिन लोगो को नियमन कर खातेदारी प्रदान की गई, उस भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं की गई मेडता तहसील में नया सेटलमेंट हुआ तब इस नये बंदोबस्त में कर्मचारियों ने अपीलांट के खातेदारी कब्जे की खसरा नम्बर 111 मिन रकबा के नये खसरा नम्बर 139 डाले गये, मगर बंदोबस्त कर्मचारियों ने मौके पर अपीलांट का जिस जगह कब्जा है, उस जगह नक्शा में तरमीम नहीं कर नये नक्शा में मौके के विपरीत खसरा नम्बर 139 को गलत जगह दिखा दिया, बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा सही नक्शा नहीं बनाने के कारण अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी मेडता की अदालत में नक्शा दुरूस्ती का वाद पेश किया, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। नक्शे में बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा गलत इन्द्राज करने से और अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 139 को खसरा नम्बर 153 में दिखा देने के कारण अपीलांट के विरूद्ध पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मेडता के द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर बेदखली का आदेश दिनांक 09.02.2011 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष 29/2011 पेश की थी, जो अपील दिनांक 01.06.2011 को स्वीकार की गई तथा नायब तहसीलदार मेडता के निर्णय को अपास्त कर दिया तथा अपीलांट के पिता को नियमन हुई भूमि का नक्शे में सही तरमीम हुआ या नहीं, इस संबंध में अपीलांट के कब्जे को तय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के मौके पर हो रखे कब्जे और राजस्व नक्शे में बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से की गई तरमीम के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच किये बगैर पुनः अपीलांट के बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जो अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई नाप चौप नहीं किया गया और न ही मौके पर आकर मौके की जांच की गई तथा माके पर आकर इस बात की भी जांच नहीं की गई कि अपीलांट का

कलक्टर, नागौर

कब्जा जिस जगह पर अपने पिता के समय से चला आ रहा है, उस जगह की सही तरमीम राजस्व नक्शे में की गई या नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से इस संबंध में गलत रिपोर्ट प्राप्त की है, क्योंकि पूर्व में अपीलांट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी, उस वक्त भी अपीलांट ने पटवारी पर आरोप लगाये थे कि पटवारी राजनैतिक विद्वेषता तथा आपसी रंजिश से झुठी रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध भी अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, उसमें भी पटवारी के विरूद्ध आरोप अपीलांट ने लगाये थे। माननीय न्यायालय ने अपीलांट के दोनो निर्णयों को रद्द कर किया था। पटवारी ने मौके पर आकर कभी भी नाप चौप कर मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की है और न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को नोटिस ही दिया। पटवारी ने इस तथ्य की कोई जांच नहीं की कि बंदोबस्त के दौरान नक्शे में जो तरमीम की गई है, वो मौके पर कब्जे के अनुसार की गई है या गलत की गई है। पटवारी ने घर में बैठकर ही सारी रिपोर्ट तैयार की है, जो गलत है। पटवारी की रंजिश का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पूर्व में पटवारी ने केवलमात्र खसरा नम्बर 153 पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर कार्यवाही आरम्भ की थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें खसरा नम्बर 153 के साथ–साथ खसरा नम्बर 139 की भूमि पर भी अपीलांट का अतिक्रमण बताया गया है। खसरा नम्बर 139 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है, मगर फिर भी इस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी बताना पटवारी की रिपोर्ट को झुठा साबित करता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट न्यायालय के द्वारा पारित दिशा निर्देशों व बिन्दूओं पर किसी तरह की जांच नहीं की जाने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2017 को अपास्त व निरस्त करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा मौजा टालनपुर के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना, पटवारी हल्का टालनपुर एंव भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत दिनांक 01.02.2011 एंव दिनांक 31.01.2017 से पूर्णतया साबित है। जहां तक अपीलान्ट द्वारा सेलटमेन्ट द्वारा गलत जगह पर तरमीम करना बताया है, उसके संबंध में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य एंव उपखण्ड अधिकारी, मेडता के न्यायालय से स्थगन होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया आधार हीन होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का टालनपुर द्वारा अपीलान्ट द्वारा ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा पर दिवार निकालकर व पत्थर डालकर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट नायब तहसीलदार मेडता के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर नायब तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा संख्या–284/2011 सरकार बनाम श्री जालमसिंह दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर नोटिस की एक प्रति अपीलांट के आबाद घर पर चस्पा कर चस्पानगी से तामिल मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2011 को अप्रार्थी (अपीलांट) के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव अप्रार्थी (अपीलांट) को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये गये।

तत्पश्चात् अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2011 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2011 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 01.06.2011 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलांट को मामलें में ओबजर्वेशन के साथ सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत हेतु विधिसम्मत मात्रा में अवसर प्रदार करते हुए पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण नायब तहसीलदार मेडता को रिमाण्ड किया गया।

इसी दौरान ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 153 की 0.16 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट पर तहसीलदार मेडता द्वारा प्रकरण संख्या 43/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 29.02.2016 से अपीलांट को बेदखली व अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 45/2016 दर्ज की गई, बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 04.07.2016 द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2016 को निरस्त किया जाकर पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 29/2011 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2011 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व रेकार्ड, मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखकर अपीलांट जालमसिंह को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

हस्तगत अपील नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 284/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखली एंव जुर्माने का आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अपीलांट ने दिनांक 19.09.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में मय वकील स्वंय उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम टालनपुर के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मगरा में अपीलांट जालमसिंह द्वारा अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का टालनपुर द्वारा दिनांक 31.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण किया हुआ होना स्पष्ट है।

जहां तक अपीलांट द्वारा उसके पिता को साबिका खसरा नम्बर 111 जिसके नये खसरा नम्बर 139 मे से नियमन की गई भूमि की गलत जगह नक्शे में तरमीम करना तथा जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया है, परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है एंव न ही गलत तरमीम करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य ही पेश किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या ..../2017 जालमसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता में पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 45/2016 आदेश दिनांक 04.07.2016 एंव तहसीलदार मेडता के प्रकरण संख्या 43/2015 आदेश दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र

पर बाद बहस रेस्पोडन्ट को ग्राम टालनपुर तहसील मेडता के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 153 में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि की हद तक मौके एंव राजस्व रिकार्ड की आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में यदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर का स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उक्त आदेश की प्रथमतः पालना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकॉर्ड लौटाया जावें एंव निर्णय की एक प्रति भी पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर